

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2003]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 11, 2016/श्रावण 20, 1938

No. 2003]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2016/ SRAVANA 20, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2016

(आयकर)

का.आ. 2680(अ).—चूंकि, आय पर तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए, तथा पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मॉरीशस की सरकार के बीच एक करार जिस पर 24 अगस्त, 1982 को हस्ताक्षर किए गए थे, के करार को संशोधित करने वाले एक प्रोटोकॉल (जिसे इसके बाद उक्त प्रोटोकॉल कहा गया है), जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है, पर मॉरीशस में 10 मई, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और चूंकि, उक्त प्रोटोकॉल 19 जुलाई, 2016 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1 के अनुसार, उक्त प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न उपर्युक्त प्रोटोकॉल के सभी उपबंध, भारत संघ में कथित प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 9 के अनुरूप लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

प्रोटोकॉल

24 अगस्त, 1982 को पोर्ट लुई में हस्ताक्षरित आय पर तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए, तथा पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मॉरीशस की सरकार के बीच अभिसमय का संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार तथा मॉरीशस गणराज्य की सरकार,

24 अगस्त, 1982 को पोर्ट लुई में हस्ताक्षरित आय पर तथा पूंजीगत लाभों पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए, तथा पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा मॉरीशस की सरकार के बीच अभिसमय (जिसे इसके बाद "अभिसमय" कहा गया है) को संशोधित करने की इच्छा से;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 5 (स्थायी संस्थापन) को पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़कर संशोधित किया जायेगा:

“(ज) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे हुए कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं शामिल हैं, परन्तु वहीं जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए देश के भीतर जारी रहती हों (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु)।”

अनुच्छेद 2

इस अभिसमय के अनुच्छेद 11 (ब्याज) को निम्नलिखित अनुच्छेद से संशोधित किया जाएगा:

(i) पैराग्राफ 2 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करके:

“तथापि, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3, 3क और 4 के प्रावधानों के अधीन, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 7.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;”

(ii) पैराग्राफ 3(ग) का विलोपन करके; और

(iii) निम्नानुसार एक नया पैरा 3क जोड़कर:

“किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत ब्याज पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते वह सदाशयी बैंकिंग कारोबार करने वाले ऐसे बैंक द्वारा प्राप्त और लाभकारी रूप से धारित हो, जो दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है। तथापि, यह छूट तभी लागू होगी, यदि ऐसा ब्याज ऐसे ऋण-दावे से उत्पन्न होता है जो 31 मार्च, 2017 को या उससे पहले मौजूद था।”

अनुच्छेद 3

अभिसमय को अनुच्छेद 12 के बाद निम्नलिखित नए अनुच्छेद को जोड़कर संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 12क

तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
2. तथापि, इस प्रकार की तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी दूसरे

संविदाकारी राज्य का निवासी है, तो इस प्रकार लगाया गया कर तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

3. इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस” पद का अभिप्राय है तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं के प्रावधान सहित कोई प्रबंध-कार्य, या तकनीकी अथवा परामर्शी स्वरूप की सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस अभिसमय के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधान उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती है, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के प्रावधान लागू होंगे।

5. किसी संविदाकारी राज्य में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, एक राजनैतिक उप-प्रभाग, स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। तथापि, जहां तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है।

6. जहां, अदा करने वाले और हितभागी स्वामी अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई फीस की रकम उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के प्रावधान अंतिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे। ऐसे मामले में अदायगियों के आधिक्य भाग पर इस अभिसमय के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा। ”

अनुच्छेद 4

इस अभिसमय के अनुच्छेद 13 (पूंजीगत लाभ) को 1.4.2017 के प्रभाव से निम्नलिखित से संशोधित किया जाएगा:

(i) निम्नानुसार एक नया पैरा 3क और 3ख जोड़कर:

“3क. 1 अप्रैल, 2017 को या उसके बाद किसी कंपनी में जो संविदाकारी राज्य की निवासी है, शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है।

3ख. तथापि, 1 अप्रैल, 2017 से प्रारंभ और 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के दौरान उत्पन्न इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 3क में संदर्भित लाभों पर प्रभावी कर की दर उस कंपनी जिसके शेयरों का हस्तांतरण किया जा रहा है, के निवास के राज्य में ऐसे लाभों पर लागू कर की दर के 50% से अधिक नहीं होगी;” और

(ii) मौजूदा पैराग्राफ 4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करके:

“4. पैराग्राफ 1, 2, 3 तथा 3क में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है।”

अनुच्छेद 5

अभिसमय के अनुच्छेद 22 (अन्य आय) को पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित नया उप-पैरा जोड़कर संशोधित किया जायेगा:

“3. पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की मदों, जिन पर इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में चर्चा नहीं की गई है और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होते हैं, पर उस दूसरे राज्य में भी कर लगाया जा सकता है।”

अनुच्छेद 6

अभिसमय के अनुच्छेद 26 (सूचनाओं या प्रलेख का आदान-प्रदान) को निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“अनुच्छेद 26**सूचनाओं का आदान-प्रदान**

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों या उनकी अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के प्रावधानों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस संविदाकारी राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करते हों।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के प्रावधानों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचना जिसमें दस्तावेज और उनकी अधिप्रमाणित प्रतियां शामिल हैं की सप्लाई करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक-भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना का अनुरोध किया गया हो, तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई सूचना प्राप्त करने के लिए अपने सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, भले ही उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के प्रावधानों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नाभिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।”

अनुच्छेद 7

अभिसमय को अनुच्छेद 26 के बाद निम्नलिखित को जोड़कर संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 26क

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।
2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए सभी किस्म और विवरण के करों से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान इस करार अथवा कोई अन्य साधन जिसके लिए संविदाकारी राज्य पक्ष हैं के साथ-साथ ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली अथवा संरक्षण के संबंध में देय राशि है।
3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है और उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के प्रावधानों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।
4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के प्रावधानों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।
5. पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।
6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ नहीं है जिसका अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाही के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना लगाया जाएगा।
7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा –

- (क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा
- (ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य के राजस्व दावे जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है, प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य को दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर हटा लेगा।

8. इस अनुच्छेद के किसी भी प्रावधान का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:

- (क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
- (ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;
- (ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;
- (घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।”

अनुच्छेद 8

अभिसमय को अनुच्छेद 27 के बाद निम्नलिखित को जोड़कर संशोधित किया जाता है:

“अनुच्छेद 27क

लाभों का परिसीमन

1. किसी संविदाकारी राज्य का निवासी इस अभिसमय के अनुच्छेद 13(3ख) के लाभों का हकदार नहीं होगा यदि इसके कार्य ऐसे तरीके से प्रबंधित थे जिसका मुख्य उद्देश्य इस अभिसमय के अनुच्छेद 13(3ख) का लाभ उठाना था।
2. कोई छद्म कंपनी जो खुद को किसी संविदाकारी राज्य का निवासी होने का दावा करती है, वह इस अभिसमय के अनुच्छेद 13(3ख) के लाभों की हकदार नहीं होगी। छद्म कंपनी, निवासी की परिभाषा में आने वाली कोई भी विधिक सत्ता है, जिसकी उस संविदाकारी राज्य में नगण्य अथवा शून्य कारोबारी गतिविधि हो अथवा जिसने कोई वास्तविक और निरंतर कारोबारी गतिविधियां न की हों।
3. संविदाकारी राज्य का कोई भी निवासी एक छद्म कंपनी माना जाएगा, यदि उस संविदाकारी राज्य में उसके प्रचालन पर व्यय, उद्भूत लाभों की तिथि से तुरंत पहले के 12 माह की अवधि में सम्बंधित संविदाकारी राज्य में, जैसा भी मामला हो, 1,500,000 मॉरीशस के रुपए अथवा 2,700,000 भारतीय रुपए से कम हुआ हो।
4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को छद्म कंपनी नहीं माना जाता यदि:
 - (क) वह किसी संविदाकारी राज्य के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो; या
 - (ख) यदि उस संविदाकारी राज्य में उसके प्रचालन पर व्यय, उद्भूत लाभों की तिथि से तुरंत पहले के 12 माह की अवधि में सम्बंधित संविदाकारी राज्य में, जैसा भी मामला हो, 1,500,000 मॉरीशस के रुपए अथवा 2,700,000 भारतीय रुपए के बराबर अथवा उससे अधिक हुआ हो।

स्पष्टीकरण: विधिक सत्ताओं के मामले, जिनके प्रामाणिक कारोबारी कार्यकलाप नहीं हैं, इस अभिसमय के अनुच्छेद 27क में शामिल होंगे।

अनुच्छेद 9

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस करार को लागू करने के लिए अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में दूसरे को अधिसूचित करेंगे। यह प्रोटोकॉल इन अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।
2. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1, 2, 3, 5 और 8 के प्रावधान प्रभावी होंगे:
 - (क) भारत के मामले में, उस आय के संबंध में जो इस प्रोटोकॉल को प्रवृत्त होने की तारीख से अगले 1 अप्रैल को अथवा इसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्त वर्ष में उत्पन्न हुए हों;
 - (ख) मॉरीशस के मामले में, उस आय के संबंध में जो इस प्रोटोकॉल को प्रवृत्त होने की तारीख से अगले 1 जुलाई को अथवा इसके बाद आरंभ होने वाले किसी वित्त वर्ष में उत्पन्न हुए हों;
3. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 4 के प्रावधान दोनों ही संविदाकारी राज्यों में निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा परवर्ती निर्धारण वर्ष के लिए प्रभावी होंगे।
4. इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 6 एवं 7 के प्रावधान बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वे कर किस तारीख को लगाए गए या किस कराधीन वर्ष से संबंधित हैं, इस प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

मॉरीशस में 10 मई, 2016 तारीख को अंग्रेजी और हिन्दी में दो प्रतियों में निष्पादित, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक। पाठों में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार के लिए	मॉरीशस गणराज्य की सरकार के लिए
अनुप कुमार मुद्गल भारतीय उच्चायुक्त	धर्म देव मनराज वित्त सचिव